AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189

नारी पुनरूत्थान में डॉ. भीमराव अंबेडकर की भूमिका

ORIGINAL ARTICLE

Author
अभय कुमार शुक्ल
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत

शोध सार

डॉ.. भीमराव अम्बेडकर महिलाओं की उन्नति के प्रबल पक्षधर थे। उनका कहना था कि "किसी समाज की प्रगति का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि उस समाज मे महिलाओं की कितनी प्रगति हुई है।" डॉ. भीमराव अंबेडकर महिलाओं के हितो व उनके अधिकारो के प्रति संवेदनशील थे। अतः उन्होंने महिलाओं के जीवन को प्रभावित करने वाले सभी क्षेत्रों जैसे शिक्षा, विवाह,परिवार नियोजन,संपत्ति,तलाक एवं भरण–पोषण आदि को अपने विमर्श का हिस्सा बनाकर नारी मुक्ति का आह्वान किया। डॉ.. भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि यदि महिलाएँ एक जुट हो जायें तो वो समाज को सुधारने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश की व्यवस्था की। संविधान निर्माण में उनकी अभूतपूर्व भूमिका रही जिसमें सभी नागरिको को बराबर का हक प्रदान किया गया। उन्होंने अपने जीवनकाल में महिला सशक्तीकरण के कई कदम उठाए। उनका स्पष्ट तौर पर कहना था कि लोकतंत्र सही मायने में तब आयेगा जब महिलाओं को पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलेगा और उन्हें पुरुषों के समान अधिकार दिए जाएंगे।

मुख्य शब्द

संविधान, अधिकार, लोकतंत्र, समानता, स्वतन्त्रता, सशक्तीकरण.

भूमिका

डॉ. भीमराव अम्बेडकर 20वीं सदी के उन महान विचारको में से एक है जो भारतीय समाज में सामाजिक न्याय,मानवाधिकार तथा स्त्री पुनरुत्थान के प्रबल पुरोधा के रूप में जाने जाते हैं। जिन्होंने सामाजिक न्याय तथा सामाजिक समानता के लिए निरंतर प्रयास किए। डॉ. अम्बेडकर ने भारतीय समाज की महिलाओं की दयनीय दशा में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाएँ जिसके कारण आज नारी हर क्षेत्र में अपना विकास कर रही है।

डॉ. अम्बेडकर ने अपनी रचनाओं में भारतीय महिलाओं की स्थिति का वर्णन कर उसमें सुधार कर समाज को जाग्रत करने का भरपूर प्रयास किया है। वे भारतीय महिलाओं के सभी पहलुओं जैसे सामाजिक,आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन चाहते थे। वें स्त्रियों के लिए एक ऐसा कानून बनाना चाहते थे जो एक संजीवनी बूटी की तरह काम करें। इस शोध पत्र के माध्यम से अम्बेडकर से पूर्व महिलाओं की स्थिति तथा अम्बेडकर के समय तथा उनके जीवन के दौरान बाबासाहेब किस प्रकार संघर्ष करके नारी के विमर्श को एक नई दिशा प्रदान की हैं इसके सम्बन्ध में विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे।

वैदिककालीन महिलाओं की स्थिति

प्राचीन भारतीय समाज में महिला का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भारतीय सैंधवकालीन सभ्यता में पाए जाने वाली मूर्तियाँ एवं आभूषण महिलाओं की दशा को परलक्षित करते हैं। लोपामुद्रा अपाला,मैत्रेयी,श्रद्धा,अवंति आदि महिलाएँ प्राचीनकाल में सदैव ही गौरव का प्रतीक रही है। स्त्री,माँ और देवी का स्वरूप रही और शक्ति के रूप में पूजनीय रही। प्राचीन भारतीय ग्रन्थों ने उसे शक्ति,ज्ञान और समृद्धि का रूप माना। भारतीय महिलाओं की विद्यमान वैदिक दशा के फलस्वरूप सभी आदर्शों का रूप नारी में देखने को मिलता है, जैसे विद्या की देवी सरस्वती, धन की देवी लक्ष्मी आदि।[1]

अगर देखें तो प्राचीनकाल में महिलाओं को समाज में ऊँचा दर्जा प्रदान किया गया था। वे अपनी अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता को प्राप्त किए हुए पुरोहितों एवं महर्षियों के समझ धार्मिक क्रियाओं में भी अपनी सहभागिता दिया करती थीं। वैदिक काल में स्त्रियों को पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार था। महिलाएँ सार्वजनिक कार्यों में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया करती थी। महिलाओं को पुरुषों के समान शिक्षा, धर्म, राजनीति, संपत्ति के अधिकार सभी समान रूप से व्याप्त थे किन्तु समयकालीन परिवर्तनों से प्रदत्त अधिकारों में हास देखने को मिला और नारी के विभिन्न अधिकारों जैसा कि शिक्षा. स्वतंत्रता और धार्मिक अनुष्ठानों से वंचित किया जाने लगा जिसके परिणामस्वरूप उसे पुरुषों पर आश्रित होना पड़ा। एक तरफ नारी को सदैव उच्च स्थान प्रदान किया गया किन्तु दूसरे तरफ उनके साथ अन्याय एवं अत्याचारों का किया जाना प्रारंभ हो गया।[2]

बुद्धकालीन महिलाओं की स्थिति

बुद्ध के समय में अगर देखे तो बुद्ध ने सदैव स्त्रियों को सम्मान प्रदान करने एवं उनकी स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयत्न किया। वे बौद्धिक विकास एवं चरित्र पालन किसी भी दृष्टि से स्त्रियों को हीन तथा अक्षम नहीं समझते थे। बुद्ध ने स्त्री को प्रवज्या (सन्यास) का अधिकार प्रदान कर उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त्र किया। बुद्ध ने ज्ञानार्जन के प्रति लैंगिक भेदभाव को समाप्त कर उन्हें स्वतंत्र प्रतिष्ठा प्रदान की। इस काल में नारी भी अपनी सम्यक दृष्टि की के कारण धर्म साम्राज्य में समान रूप से भागीदारी थी। यद्यपि यदा–कदा बुद्ध पर लैंगिक–भेदभाव के आरोप भी लगाए गए। 1950 में मुंबई से प्रकाशित Is Weekly नामक साप्ताहिक पत्रिका में लिखित लेख के माध्यम से भारत में नारियों के अपकर्ष हेतु युद्ध के शिक्षाओं को जिम्मेदार ठहराया गया। उन पर स्त्रियों से संपर्क न साधने एवं स्त्री भिक्षुणी संघ को पुरुष भिक्षु संघ के अधीन रखने जैसे आरोप सामान्य थे।

वास्तव में यदि गहनता से परीक्षण किया जाए तो पता चलता है कि बुद्ध को पुरुषों (भिक्षु) के स्त्रियों के प्रति यौन आकर्षण जैसी कमजोरी विशेषतः ब्रह्मचर्य के सिद्धांत के उल्लंघन का अंदेशा था इसलिए वे भिक्षुओं को परिवारों से दूरी बनाए रखने का परामर्श किया करते थे। उनका मानना था कि जब भी भिक्षु किसी स्त्री से संपर्क साधे तो स्थिति अनुरूप उन्हें अपनी माता, बहन या पुत्री के रूप में स्वीकार करे। बुद्धकालीन स्त्री की स्वतंत्रता का प्रमाण स्वमुक्ता (ब्राह्मणी भिक्षुणी) के शब्दों में बयां होता है – "कितना मुक्त जीवन है मेरा और इस मुक्त जीवन के साथ कितना यश मुझे प्राप्त हो रहा है"।यहाँ उल्लेखनीय है कि बुद्ध ने स्त्रियों को धर्म की शरण में आने हेतु निमित्ति कौमार्य की अनिवार्यता नहीं रखीं वरन् विवाहिता, अविवाहित,वैश्या एवं विधवा सभी वर्ग की महिलाओं के लिए मार्ग खुला रखा।[3]

मनुकालीन महिलाओ की स्थिति

मनु स्त्रियों के प्रति असंवेदनशील होने के साथ–साथ अत्यंत ही नकारात्मक दृष्टि भी रखता था। मनुस्मृति में उल्लेखित विधानों की पुष्टि हेतु मनु ने प्राचीन कालीन धर्म सूत्रों को ही आधार बनाया। मनु घोषणा करता है – इस संसार में स्त्रियों का स्वभाव पुरुषों को मोहित करता है। इस कारण बुद्धिमान जन स्त्रियों के बीच सुरक्षित नही रहते, क्योंकि स्त्रियों इस संसार में केवल मूर्ख को ही नहीं बल्कि विद्वानों को भी पथभ्रष्ट करने में और उन्हें काम और क्रोध का दास बना देने में सक्षम है। इस संसार में उनकी चाहे जितनी भी रक्षा क्यों न की जाए पुरुषों के प्रति काम–भावना,अपनी चंचल प्रकृति और अपनी स्वाभाविक हृदयहीनता के कारण वह अपने प्रति निष्ठारहित हो जाती

है। उनका ऐसा स्वभाव जानकर,जो ब्रह्मा ने उन्हें अपनी सृष्टि के समय दिया है, प्रत्येक मनुष्य को उनकी रक्षा के लिए विशेष प्रत्यत्न करना चाहिए।

स्त्रियों के प्रति मनु के नियम अकाट्य है, स्त्रियों किसी भी परिस्थिति में स्वतंत्र नहीं हैं। मनु ने विवाह को संस्कार की तरह माना हैं और इसलिए उसने विच्छेद की अनुमति नहीं दी। यह बात निश्चय ही सत्य से कोसों दूर है। मनु के विच्छेद नियम का बिल्कुल भिन्न उद्देश्य था। मनु के अनुसार पत्नी,पुत्र और दास इन तीनो के पास कोई संपत्ति नहीं हों, वे जो संपत्ति अर्जित करें वह उसकी होती है जिसकी वह पत्नी या पुत्र या दास है। अगर वह विधवा हो जाए तब मनु उसके लिए निर्वाह व्यय की अनुमति देता है और अगर उसका पति अपने परिवार से अलग था, तब उसके पति की संपत्ति में से विधवा को भू संपत्ति का अधिकार देता है लेकिन मनु उसे संपत्ति पर अधिकार की अनुमति नहीं देता। मनु के नियमों के अधीन स्त्री को शारीरिक दंड़ दिया जा सकता है और मनु पति को अपनी पत्नी को मारने–पीटने की अनुमति देता है।

अन्य परिस्थितियों में मनु स्त्री का स्थान शूद्र के स्थान के समान मानता है। वेद का अध्ययन मनु द्वारा उसे उसी प्रकार निषिद्ध था जिस प्रकार शुद्ध को। स्त्रियों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है इसलिए उनके संस्कार वेद मंत्रों के बिना किए जाने चाहिए। चूँकि स्त्रियाँ वेद मंत्रों का पाठ नहीं कर सकती इसलिए वे उसी प्रकार अपवित्र है जिस प्रकार असत्य अपवित्र होता है। ब्राह्मण धर्म के अनुसार यज्ञ करना धर्म का सार है, फिर भी 'मनु स्त्रियों [4]

कौटिल्य कालीन महिलाओं की स्थिति

कौटिल्य के समय में भी नारी को समाज में सम्मानीय दर्जा प्राप्त था,कौटिल्य के अर्थशास्त्र में स्त्रियों के विवाह एवं पुनर्विवाह एवं उसके भरण–पोषण से संबंधित नियमों का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य ने विवाह व्यवस्था को कुछ हद तक लचीला बनाया। यदि कोई स्त्री जीवित शिशु को जन्म नहीं देती या जिसके कोई पुत्र नहीं हैं या बोझ है या मात्र पुत्रियों को जन्म देती है, तो उन्होंने पुरुष को 8 से 10 वर्ष तक प्रतीक्षा करने का परामर्श दे देते. हुए एक समय सीमा की व्यवस्था की। पुरुष द्वारा इन नियमों के उल्लंघन पर स्त्री को शुल्क सहित स्त्रीधन के साथ–साथ आर्थिक क्षतिपूर्ति भी करनी होगी। तत्पश्चात् वह नये विवाह सूत्र में बंध सकती है।

विवाह व्यवस्था के लचीलेपन के साथ–साथ कौटिल्य ने विवाह विच्छेद के नियम भी तय किए। उनका मानना था कि यदि स्त्री / पुरुष अपने जीवन–साथी से घृणा करते हैं तो वे अपनी सहमतिपूर्वक विवाह संबंधों का परित्याग कर सकते हैं। कौटिल्य ने पत्नी के स्थाई निधि एवं भरण–पोषण कर उसकी आर्थिक स्वाधीनता को भी सुनिश्चित किया।[5]

मध्यकालीन महिलाओ की स्थिति

मध्यकाल में भारत में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में और अधिक गिरावट देखने को मिली। इस काल में स्त्रियों की दशा को देखते हुए इसे 'कालयुग' के नाम की संज्ञा दी गयी। इस काल में भारत के राजाओं में पड़ी आपसी फूट का फायदा मुसलमानों के द्वारा उठाया गया। इस काल में यह बात कही गयी कि स्त्रियों को किसी न किसी मुख्य के संरक्षण में रखना चाहिए। इस काल में नारी की दिशा दयनीय रही। बाल–विवाह किए जाने के साथ साथ पर्दा–प्रथा की व्यवस्था की गयी। शिक्षा प्राप्ति के अवसरों से भी उन्हें वंचित रखा गया। मध्यकाल में नारी को एक वस्तु के रूप में देखा जाने लगा तथा उपयोग किया जाने लगा।

मध्यकाल में व्याप्त नारियो की आर्थिक पराधीनता, कुलीन विवाह प्रथा, अन्तर्विवाह, बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा अशिक्षा आदि प्रथाओं ने नारी की स्थिति में गिरावट ला दी थी जिसके फलस्वरूप ही मध्यकाल को भारतीय संस्कृति में महिलाओं'का 'अंधकार युग' कहा गया। इस काल में भारतीय नारी की स्थिति अत्यंत दयनीय थी।

उपनिवेश के दौरान महिलाओं की स्थिति

उपनिवेशवाद के दौरान स्त्रियों की स्थिति मनुष्य जैसे नही बल्कि वस्तु जैसी थी जिस पर बहुत ध्यान नहीं

दिया जाता था। सतीप्रथा, बहुविवाह,बालविवाह, विधवा पुनर्विवाह वैवाहिक उम्र की सीमा आदि कुछ ऐसे कठोर विरोध थे, जो हिन्दू समाज सुधारकों के प्रयासों के फलस्वरूप हिन्दू औरतों में सुधार लाने के लिए ब्रिटिश भारत में पारित किए गए थे। राजा राममोहन राय, ईश्वरचन्द विद्यासागर उन सुधारको में सर्वप्रथम थे जिन्होंने सती प्रथा की समाप्ति एवं विधवा विवाह का समर्थन किया।

स्त्री अस्मिता का प्रश्न समाज सुधारकों एवं ब्रिटिश शासको दोनो ओर से आए। समाज में प्रचलित घृणित रीति रिवाजों के विरुद्ध जनमानस जागृत करने का प्रयास इसी युग में हुआ। सती प्रथा,कन्या हत्या,बाल विवाह, वैधव्य और स्त्रियों की अशिक्षा जैसी सामाजिक बुराईयो को समाप्त करने के प्रयत्नों की ओर सरकार और सुधारक पेश हुए।

नवजागरण के दौरान स्त्री शिक्षा का प्रश्न बडे जोर– शोर से उठाया गया। 19वीं सदी की शुरुआत में स्त्री शिक्षा की कोई परम्परा नहीं थीं और व्यापक जनमत इसके खिलाफ था। स्त्री शिक्षा का काम 1820 के करीब सबसे पहले बंगाल और बम्बई में ईसाई मिशनरियों की पत्नियों ने प्रारंभ किया।[6]

स्त्री असमानता के सन्दर्भ में गोपा जोशी कहते हैं कि "अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के साथ–साथ भारतीय क्षितिज में भी नवजागरण का तारा चमका। पश्चिमी शिक्षा के प्रकार एवं प्रसार से वहाँ उदारवादी विचारधारा से प्रभावित बुद्धजीवियों तथा समाज सुधारकों की एक जमात तैयार हो गयी। इस जमात के अधिकांश सदस्य ऊंची जातियों और संभ्रांत परिवारों से थे। कट्टरपंथी रूढ़ियों,परम्पराओं तथा रीति रिवाजों सें इन्हीं जातियों की स्त्रियाँ सर्वाधिक जकड़ी थी।

19वीं सदी के बदलते परिवेश में पारम्परिक आपस में गुण–संपन्नकारी औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से लाभान्वित तथा पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित पुरुषों की अपेक्षाओ में खरी नहीं उतर पा रही थी। बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा–विवाह आदि समाजिक बुराईयो से जकड़ी होने के कारण ऊँची जातियों की स्त्रियों को नए वातावरण के अनुरूप ढलने में कठिनाई हो रही थी। इन परेशानियों को दूर करने के लिए तत्कालीन समाज–सुधारकों ने पश्चिम उदारवादी विचारधारा के गिने चुने अंशो को अपनाया। साथ मिलकर तत्कालीन कुरीतियों को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाएँ।[7]

महात्मा फुले का योगदान

19वीं सदी में भारत में अंग्रेजो की नई शिक्षा प्रणाली से एक नया शिक्षित वर्ग पैदा हुआ,उसमें से कुछ लोगों का ध्यान भारतीय समाज की कुरीतियों की ओर केन्द्रित हुआ जिनमें महात्मा ज्योतिबा फुले का अग्रणीय स्थान हैं, जिन्होंने समाजनीति, राजनीति, अर्थनीति,धर्मनीति,शिक्षा–पुरुष समानता और सामाजिक न्याय इत्यादि क्षेत्रों में अपने विचार स्थापित किए। महात्मा ज्योतिबा फुले भारत में दलितों व महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था के लिए तथा मजदूरों,किसानों व समाज के कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए सशक्त आन्दोलन चलाए।

महात्मा ज्योतिबा फुले ने महिलाओं की भलाई के लिए बाल विवाह का विरोध किया तथा मलाबारी के अंग्रेज सरकार से प्रार्थना की। 19 वर्ष से कम आयु के लड़के एवं 11 वर्ष से कम आयु की लड़की के विवाह से अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जिसके लिए उनकी तत्कालीन समाज सुधारक ईश्वर चन्द्र विद्यासागर व दादा भाई नारौजी ने भी समर्थन किया। महात्मा ज्योतिबा फुले ने समाज में घृणित सती प्रथा पर भी आघात किया तथा इसे अत्याचार की पराकाष्ठा माना और इसकी निंदा की। महात्मा ज्योतिबा फुलें आधुनिक भारत में प्रथम भारतीय थे जिन्होंने समाज में समाजिक व सांस्कृतिक आन्दोलन का सूत्रपात किया। वे वर्ण व्यवस्था जातिभेद, ग्रामीण कुनबी किसानों,खेतिहर मजदूरी शूद्राद्रि,अतिशूद्रों एवं नारी के हितों के लिए सदा संघर्ष करते रहे और 19 वीं शताब्दी में एक शक्तिशाली आन्दोलन का नेतृत्व करते हुए दलितों एवं महिलाओं के लिए सदियों से बंद पड़े शिक्षा के दरवाजे खोले, क्योंकि वे जानते थे कि समाज में बदलाव शिक्षा द्वारा ही लाया जा सकता हैं जिससे वे गरिमापूर्ण जीवन जी सकते हैं इसलिए उन्होंने शिक्षा के प्रसार तथा समाज में व्याप्त बुराईयों जैसे बाल विवाह, बाल हत्या, सती प्रथा, विधवा

महिलाओं की दयनीय दशा इत्यादि समाजिक बुराईयों का कड़ा प्रहार किया।[8]

डॉ. आंबेडकर का महिला अधिकारों के लिए किए गए प्रयास

वैदिक, बुद्ध एवं कौटिल्य कालीन समय का अध्ययन कर अम्बेडघ्कर ने पाया कि तीनों ही काल में राजनीति को छोड़ दें तो बौद्धिक एवं सामाजिक क्षेत्र में निःसंदेह ही स्त्री बेहतर स्थिति में थी,किन्तु कालांतर में मनु के आगमन से उसकी स्थिति दयनीय होती चली गयी जिसे लेकर अम्बेडकर बेहद ही चिंतित थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने धार्मिक अंधविश्वास और धर्मशास्त्रों पर आधारित भारतीय समाज में रित्रयों की दशा का गहनता से विश्लेषण कर तत्कालीन समय में चल रहे समाज सुधार से आगे बढ़कर स्त्रियों को अधिकार वापस दिलाने हेतु ठोस प्रयास किए।

अम्बेडकर ने "रीडल ऑफ वूमेन, नारी एवं प्रतिक्रांति, हिन्दू नारी का उत्थान एवं पतन" जैसे लेखों के माध्यम से दिखाया कि किस तरह हिन्दू ब्राह्मणवादी व्यवस्था एवं सामाजिक– सांस्कृतिक प्रकारों ने कृत्रिम तौर पर लिंग एवं उसके भेद का निर्धारण किया कर महिला को अधीनता की स्थिति में रहने के लिए बाध्य किया। एक शोधकर्ता की भांति उन्होंने धर्म में स्त्री के स्थान का गूढ़ता से अध्ययन कर इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया कि 'आखिर मनु ने स्त्री का पदानवत क्यों किया ?' अम्बेडकर ने तर्क दिया कि बौद्ध –काल में मुख्यतः दो वर्ग (स्त्री एवं शुद्ध) बुद्ध के अनुयायी बन रहे थे जिससे ब्राह्मण धर्म की नींव डगमगाने लगी थी। बौद्ध धर्म की निरंतर फैलती जा रही शाखाओं को रोकने के लिए मनु में स्त्रीयों की स्वतंत्रता पर निशाना साधते हुए उस उन्हें इससे वंचित कर उन पर इतनी अयोग्यताएँ थोप दी कि वे पूर्ण रूप से हमेशा के लिए पंगु हो गयी।[9]

डॉ. अम्बेडकर ने सामाजिक समानता के लिए दलितों की लड़ाई में पुरुषों के साथ महिलाओं को भी सम्मिलित किया। उनका कहना था कि समाज की उन्नति के लिए पुरुषों के साथ महिलाओं को भी आगे आना चाहिए।

19–20 मार्च 1927 को महा सत्याग्रह के दौरान तालाब से पानी लेने के लिए डॉ. आबेडकर ने दलितों का नेतृत्व किया। उनके आहवान पर महिलाओं ने भी भाग लिया। इसके अतिरिक्त कालाराम मंदिर प्रवेश पूजा,मद्रास आदि स्थानों पर मंदिरो में दलितों को प्रवेश दिए जाने में भाग लिया। भूमिहीन कृषकों को भूमि दिलाए जाने के लिए भी महिलाओं ने भाग लिया। जैसे– शांतीबाई दाणी, गीताबाई गायकवाड तथा मीनल शिक्षा के नाम उल्लेखनीय है।

डॉ. आंबेडकर का नारी के प्रति दृष्टिकोण यथार्थ, भौतिक एवं वैधानिक अधिक था। डॉ. भीमराव आंबेडकर नारी को पुरुष के समान अधिकार दिलाकर सामाजिक समानता चाहते हैं। 1927 को अस्पृश्य महिलाओं को सम्बोधित करते हुए डॉ. अम्बेडकर ने कहा "जिस प्रकार घर गृहस्थी की समस्याएँ – पति–पत्नी मिलकर सुलझाते हैं, वैसे ही समाज की समस्याएँ भी स्त्री–पुरुषों द्वारा मिलकर सुलझानी चाहिए। आप पुरुषों की जन्मदाता हैं।"[10]

1936 में को डॉ. अम्बेडकर ने वैश्याओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि "यदि आप हम सबके साथ चलना चाहती है तो अपनी जीवन पद्धति बदले। आप विवाह कर समाज की अन्य महिलाओं की भांति सम्मानपूर्वक पारिवारिक जीवन व्यतीत करें। वैश्यावृत्ति के घृणित जीवन के अलावा अजीविका कमाने के सैकड़ो अन्य साधन हैं। जब तक आप वैश्यावृत्ति घृणास्पद जीवन का परित्याग नहीं करती, तब तक आपको सम्मान समाज में नहीं मिल पायेगा।"

20 जुलाई 1942 कों नागपुर में अखित भारतीय दलित महिला अधिवेशन को सम्बोधित करते हुए डॉ. अम्बेडकर ने दलित महिलाओं से कहा कि "किसी समाज की प्रगति का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि इस समाज में महिलाओं की प्रगति कितनी है।" उन्होंने कहा कि विवाह जल्दी न करें,विवाह एक बोझ है। जो लड़की विवाह करती हैं वह अपने पति से मित्रता का दावा करें. दासी बनने से इन्कार कर दें। ऐसा करने से पूरे समाज का सम्मान बढ़ेगा।"

डॉ. अम्बेडकर चाहते थे कि हिन्दुओं का कोई एक पर्सनल ला होना चाहिए ताकि समाज की बुराईयाँ भी दूर हो सके इसलिए उन्हें एक बिल बनाने की जरूरत पड़ी जो सित्रयों को मानवाधिकार की संस्तुति करता है। डॉ. अम्बेडकर ने नारियों के उत्थान के लिए सन् 1927 से 1956 तक सतत् प्रयास किये।[11]

हिन्दू कोड बिल और डॉ. अम्बेडकर

11 अप्रैल 1947 को डॉ. अम्बेडकर ने लोकसभा में हिन्दू कोड बिल पेश किया। उन्होंने भारतीय समाज में नारी को पुनः प्रतिष्ठित करने हेतु यह बिल तैयार किया था। इसके 3 भाग थे इसमें 139 धाराएँ तथा 7 सूचियाँ थी। इस बिल में स्त्री को विवाह विच्छेद, अल्पायु में विवाह करने पर प्रतिबंध, जीवन साथी चुनाव एवं अर्न्तजातीय विवाह का अधिकार, संपत्ति में बेटे के बराबर बेटी का अधिकार तथा गोद लेने एवं संरक्षता के अधिकार का प्रवधान था।

16 अगस्त 1951 को हिन्दू कोड बिल संसद में पेश किया गया। कई दिनो तक बहस होती रही। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने हिन्दू कोड बिल के दूसरे भाग जो विवाह या तलाक से सम्बन्धित था,को ही पेश करने दिया। 25 सितम्बर 1951 को यह पास कर दिया गया। इससे हिन्दू आपे से बाहर हो गए। सरदार पटेल और राजेन्द्र प्रसाद का खुलकर विरोध किया। अन्त में 26 सितम्बर 1951 को जवाहर लाल नेहरू ने इस बिल को बिना पास हुए वापस वापस ले लिया। डॉ. अम्बेडकर को बहुत दुःख हुआ। हिन्दू कोड बिल पूरा पास न होने के कारण डॉ. अम्बेडकर का स्वप्न भंग हो गया,जिसमें उन्होंने एक ऐसा भारत देखा था,जो कि न्याय,स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की सौगात लाने वाला था। डॉ. अम्बेडकर चाहते थे कि हिन्दू समाज व्यवस्था में ऐसी समानता स्थापित करें जहाँ स्त्री–पुरुष,ऊँच–नीच, छोटा–बड़ा जैसे भेदभाव न हो। डॉ. अम्बेडकर दुःखी होकर 20 सितम्बर 1951 को मंत्रिमण्डल से त्याग पत्र दे दिया। हिन्दू कोड बिल को कानूनी रूप से दिये जानें के खातिर यह विधेयक मंत्रिमण्डल में बना रहा और आगे चलकर खंडो में विभक्त होकर पारित हुआ।

1) द हिन्दू मैरिज एक्ट 1955।
2) द हिन्दु एक्सेशन एक्ट 1956।
3) द हिन्दू माइनारिटी एवं गार्जियनशिप एक्ट 1956।
4) द हिन्दू एडोप्सन एक्ट 1956।

1) **द हिन्दू मैरिज एक्ट 1955**: इस एक्ट में एक विवाह को वैधता दी, दूसरे विवाह के लिए कानूनन दण्ड का प्रावधान एवं कन्या विवाह की उम्र 18 वर्ष कर दी गई।
2) **द हिन्दू एक्सेशन एक्ट 1956**: इसमें एक विधवा को भी पुत्र या पुत्री गोद लेने का अधिकार दिया गया। अपनी सम्पत्ति को भी वह चाहे दे सकती है।
3) **द हिन्दू माइनारिटी एवं गार्जियननिप एक्ट 1956**: इसमें माँ को अधिकार है कि वह अपने बच्चों के संरक्षक बने, नाबलिक बच्चे का संरक्षक नियुक्त करने में पत्नी की अनुमति आवश्यक है।
4) **द हिन्दू एडोप्सन एक्ट 1956**: इसमें बताया गया कि एक स्त्री अपने जीवन में किसी बच्चे को गोद ले सकते है। अविवाहित लड़की या विधवा को भी गोद लेने का अधिकार दिया गया।

डॉ. आंबेडकर ने स्त्रियों को कानूनन पुरूषो के बराबर अधिकार दिलवाकर उनमें नई चेतना की ज्योति जलाई। स्त्रियों को सामाजिक, वैधानिक और राजनीतिक स्तर पर पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हो, उन्हें हर क्षेत्र में अपनी उन्नति के बराबर अवसर हो। अतः कहा जा सकता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर परिवार स्तर से लेकर समाज के स्तर तक पर क्षेत्र में सुधार के लिए प्रयासरत थे।[12]

डॉ. अम्बेडकर द्वारा किए गए अन्य प्रयास

1. **शिक्षा के क्षेत्र में**: डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने महिलाओं की स्वतंत्रता, समानता तथा स्वाभिमान से जीना सिखाया। उन्होंने दो मूल मंत्र प्रदान किए शिक्षित बनो,संगठित रहो और संघर्ष करो तथा द्वितीय अप्पदीपो भव अर्थात् अपना दीपक स्वयं बनों। उन्होंने प्रश्न उठाया कि ज्ञान और विद्या पर केवल पुरुषों का एकाधिकार क्यों? जबकि घर में एक केवल पुरुष पढ़ता है तो तो केवल वही पढ़ता है, यदि घर में स्त्री पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है। उनका मानना था– शिक्षा ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक व्यवस्था से मुक्ति प्राप्त करने का अहम साधन है। नारी को विकास का दूसरा पहिया करार देते हुए राष्ट्र की उन्नति में सहायक माना।

डॉ. अंबेडकर के अनुसार नारी राष्ट्र निर्मात्री है, राष्ट्र का हर नागरिक उसकी गोद में पलता है। नारी को जागृत किए बिना राष्ट्र का विकास असंभव है इसलिए नारी को शिक्षित होकर राष्ट्र की उन्नति में सहयोग करना चाहिए। इसके लिए बाबा साहेब ने अनेक सफल प्रयास किए।[13]

2. **परिवार नियोजनः** भारत में परिवार नियोजन भलेही स्वतंत्र भारत के बाद का नारा हो किन्तु डॉ. अम्बेडकर ने इसकी अहमियत को बहुत पहले ही भांप लिया था। विशेषत : यह उनके निजी जीवन का अनुभव था। उन्होंने इसके सन्दर्भ में दो बच्चे रखने का सुझाव दिया था। इसके बेहतर क्रियान्यान के लिए महिलाओं की भागीदारी को आवश्यक बताया।

3. **प्रसूति अवकाशः** डॉ. अम्बेडकर गर्भावस्था के दौरान महिला श्रमिकों का अपने श्रम से वंचित होना को एक बेहद चिंतनीय समस्या मानते थे। उन्होंने कारखाना व अन्य सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों में कार्यरत श्रमिक महिलाओं के लिए वेतन सहित प्रसूति अवकाश का समर्थन करते हुए 1928 में मुंबई विधानपरिषद् में प्रसव लाभ विधेयक के प्रति पूर्ण सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि " मैं इस बात से सहमत हूँ कि इससे शासन पर भारी बोझ पड़ेगा लेकिन मैं वेतन के कटौती का पक्षधर नही हूँ। यह महिलाओं का अपना अधिकार है जिसकी प्राप्ति उन्हें होनी चाहिए। स्वतंत्र भारत में यह प्रसूति सुविधा अधिनियम 1961 में परिलक्षित हुआ।[14]

संवैधानिक स्थिति

डॉ. भीमराव अंबेडकर पुरुषों के बराबर अधिकार महिलाओं को दिलवाकर उनसे नई चेतना जाग्रत की। संविधान के अनु 14 से 16 में उन्होंने स्त्री और पुरुष में कोई भेद न मानते हुए दोनो को समानता का दर्जा प्राप्त हुआ। भारतीय संविधान के अनु.15(3) में शासकीय नौकरियों में स्त्रियों को समान अधिकार दिया गया। अनु– 16(2) अनु. 19(1) में पुरुषों के समान स्त्रियों को भी स्वतंत्रता प्रदान की गयी। शोषण के विरुद्ध अधिकार के साथ उन्हें भी धर्म की स्वतंत्रता प्राप्त है। अनु 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन श्रमिक स्त्रियों के स्वास्थ्य की देखभाल आदि को निश्चित करने का निर्देश दिया गया है। डॉ. अम्बेडकर भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता थे। संविधान 'एक समाज व्यवस्था'की परिलक्षित करता है जिसमे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय और राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करेगा। समग्र रूप से देखा जाये तो डॉ. अम्बेडकर का प्रयास सभी स्त्रियों की स्थिति सुधारने में काफी सहायक होगा।[15]

निष्कर्ष

उपर्युक्त बाबा साहेब के विचार आज उतने ही प्रासंगिक है जितने उस समय थे। आज सरकारें महिलाओं के उत्थान के लिए जो भी उपर्युक्त कदम उठाए जा रहे हैं उनमें बाबा साहेब के विचारों का समावेशन अवश्य दिखाई देता है, जैसे स्त्री शिक्षा पर ज़ोर और परिवार नियोजन, मातृत्व अवकाश आदि। ये सभी बाबा साहेब अंबेडकर के कार्यों का ही परिणाम है। बाबा साहिब द्वारा किए गए कार्यों की वजह से आज महिलाएँ घर की चहारदीवारी से बाहर निकलकर सभी क्षेत्रों में परचम लहरा रही है और निरंतर अपने आपको उन्नत कर रही हैं। बाबा साहेब ने पूरा जीवन महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने मे लगाया, यहाँ तक की महिलाओं के हित के लिए लाया गया हिन्दू कोड बिल पास न होने के कारण उन्होंने कानून मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया। इन्ही सब कारणों के कारण नारी विमर्श के सन्दर्भ में बाबा साहेब के विचार हमेशा प्रासंगिक रहेंगे और हमेशा याद किए जाएंगे।

सन्दर्भ सूची

1. कश्यप आलोक, (2012) *भारतीय समाज में नारी : दशा एवं दिशा,* आर्या पलिकेशन,नई दिल्ली पृष्ठ संख्या 1–2।
2. वर्षा और हिमांशु (2019) डॉ. भीमराव अम्बेडकर के चिंतनः में दलित विमर्श : भारतीय महिलाओं के विशेष सन्दर्भ में, *रिव्यू ऑफ रिसर्च* volume–8 पेज 2।
3. अम्बेडकर, भीमराव (2008) *हिन्दू नारी का उत्थान एवं पतन,* सम्पर्क प्रकाशन नई दिल्ली पेज संख्या 15।

4. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर सम्पूर्ण वाङ्मय (2020) Volume7 क्रांति तथा प्रतिक्रांति, बुद्ध तथा कार्लमार्क्स डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय (भारत सरकार) पेज 310–321।
5. वही।
6. राजक, रामचन्द्र (2017) उपनिवेशवाद स्त्री अस्मिता का प्रश्न, *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हिन्दी रिव्यू* पेज 20।
7. जोगी गोपा, (2011) *भारत में स्त्री असमानता,* दिल्ली कार्यान्वयन निदेशालय नई दिल्ली पेज – 114।
8. कुमार विजय, (2017) समाज सुधार में महात्मा ज्योतिषा फुले का योगदान, *इंटेरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थॉट,* पेज 39–40।
9. सीमा (2015) महिला अधिकारों के अग्रदूत, *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एप्लाइड रिसर्च,* पेज 49 –56।
10. नीता (2016) अम्बेडकर और नारी, *इटरनेशनल जर्नल ऑफ इनोवोरिव सोशल साइंस एंड हिम्युनटीज रिसर्च,* पेज 57।
11. वही।
12. सीमा (2019) डॉ. अम्बेडकर और नारी सशक्तीकरण, *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टी डिरपनरी,* पेज 713–718।
13. चौधरी आभालाला (2010) *नारी स्वतंत्रता और डॉ. अम्बेडकर,* नटराज प्रकाशन, नई दिल्ली पेज संख्या 167।
14. भारती अनीता, (2010) *दलित और गैर दलित स्त्री आन्दोलनः* डॉ. अम्बेडकर का स्त्री चिंतन : नटराज प्रकाशन, नई दिल्ली, पेज संख्या 56।
15. जैन पुखराज, (1973) *भारत का संवैधानिक विकास और भारतीय संविधान,* साहित्य भवन पब्लिकेशन, पेज संख्या 97, 198।

––==00==––